चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

संख्याः ई– 02 /जी0एस0

दिनांक : 02 ~~दिसम्बर~~, ~~2024~~ जनवरी 2025

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 सुखबीर सिंह, ए–8, अपना घर, संजय विहार, आवास विकास, मेरठ रोड, हापुड़ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे 'अधिनियम') की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 12.04.2023 एवं 05.05.2023 के माध्यम से किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली, हापुड़ (आगे 'महाविद्यालय') की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (आगे 'विश्वविद्यालय') के आदेश दिनांक 02.05.2022 को अमान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 द्वारा दिनांक 09.07.2021 को सम्पन्न एवं दिनांक 15.07.2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, मेरठ द्वारा मान्य, महाविद्यालय के निर्वाचन के आधार पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 के बिन्दु 7, 8 एवं 10 में उल्लिखित तथ्यों को दोषपूर्ण बताते हुये उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ द्वारा "दी एजुकेशन सोसाइटी, हापुड़ सोसाइटी" को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 की धारा–25(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.07.2021 को कराये गये तथाकथित निर्वाचन किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़ के हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत दिनांक 25.09.1962 को हुआ था। यह सोसाइटी, किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़, पूर्व में रघुवीर सिंह किसान डिग्री कॉलिज का संचालन नहीं करती थी और न ही इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। दी एजुकेशनल सोसाइटी नियमावली मेरठ वर्तमान में हापुड द्वारा किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़ का संचालन किया जाता है, जिसका पंजीकरण 18 अगस्त, 1949 को हुआ था।

कुलाधिपति
CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

2(ख). प्रत्यावेदक का आगे कथन है कि इस सोसाइटी द्वारा प्रारम्भ में जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल तथा बाद में रघुवीर सिंह किसान इण्टर कॉलिज, सिम्भावली तथा वर्ष 1956 में रघुवीर सिंह किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, की स्थापना व संचालन किया गया, बाद में महाविद्यालय का नाम बदलकर किसान डिग्री कॉलिज सिम्भावली कर दिया गया। वर्ष 1960 में उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम आने के उपरान्त इण्टर कॉलिज तथा महाविद्यालय का संचालन एक ही बाइलॉज से सम्भव न हो पाने के कारण दी एजूकेशनल सोसाइटी, मेरठ (हापुड़) ने बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1962 को महाविद्यालय के संचालन व प्रशासन के लिए पृथक बाइलॉज पारित किये जाने से स्पष्ट है कि जिस सोसायटी ने महाविद्यालय की स्थापना की, उसी ने आवश्यकतानुसार प्रशासन की सुविधा के लिए पृथक बाईलॉज फ्रेम किया। किसान डिग्री कॉलिज सोसाइटी, सिम्भावली एक फर्जी सोसाइटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन दी एजूकेशनल सोसायटी द्वारा महाविद्यालय की प्रशासनिक सुविधा के लिए पृथक बाईलॉज पारित करने की तिथि के छः माह उपरान्त कराया गया ताकि महाविद्यालय के समानान्तर नाम की सोसायटी के आधार पर कालान्तर में इस महाविद्यालय पर कब्जा किया जा सके। किसान डिग्री कॉलिज सोसाइटी, सिम्भावली, हापुड़ का अपना कोई बाईलॉज नहीं है। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पत्रों में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि इसके रजिस्ट्रेशन की अथोरिटी कहां से प्राप्त की गयी है। इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट 10 व्यक्तियों द्वारा कराया गया, जिनका केवल घर का पता अंकित है। इस निर्वाचन के लिये जो सूची प्रकाशित की गयी है, वह सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, सिम्भावली, हापुड़ के भूतपूर्व ग्राम प्रतिनिधि/डेलीगेट्स की सूची है, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान में कोई प्रबन्ध समिति कार्य नहीं कर रही है। गन्ना समितियों का गठन व संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समिति अधिनियम द्वारा होता है, जिसका शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन से कोई संबंध नहीं है। सोसाइटी की सदस्यता का प्रावधान, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 की धारा 15, सब–सेक्शन 02 व धारा–4 में किया गया है, जिसमें

सदस्यों द्वारा निर्वाचन में भाग लेने के अधिकार को भी वर्णित किया गया है और इस धारा के अन्तर्गत कभी भी गन्ना विकास समिति के डेलीगेट्स को सदस्यता प्रदान नहीं की गयी है। विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश में प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मान्यता प्रदान की गयी है उनमें से कोई भी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की सदस्यता/साधारण सभा संबंधी धाराओं के अनुसार सदस्य नहीं हैं जिससे यह सभी प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी व कार्यकारिणी के सदस्य बनने के अयोग्य हैं तथा इससे सोसाइटी के प्रबन्धन तथा धन पर बाह्य व्यक्तियों का कब्जा हो गया है। यह खुलकर महाविद्यालय तथा सोसाइटी की सम्पत्ति तथा बैंक बैलेंस का दोहन कर रहे हैं अतएव प्रबन्ध समिति की मान्यता सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 को अमान्य किया जाये।

प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन दिनांक 05.05.2023 के संलग्नक में, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को उपमर्षित करने का अनुरोध किया गया है, जिसे कुलाधिपति द्वारा विचारोपरान्त उपमर्षित कर दिया गया है।

3(क). विपक्षी डा0 विजय गर्ग, प्राचार्य, किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली, हापुड़ द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या में उल्लेख है कि आर0एस0के0 इण्टर कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़ के संचालन हेतु "दी एजुकेशन सोसाइटी, सिम्भावली, हापुड़ सोसाइटी" को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–115/1949–50, दिनांक 01.08.1949 को पंजीकृत कराया गया। उक्त सोसाइटी द्वारा वर्ष 1956 में किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़ की स्थापना करते हुये वर्ष 1962 तक संचालन किया गया है, जिसके संविधान में उल्लेख है कि *"(c) No rules and regulations of the Society or any other body connected with the college other than those incorporated in those Bye-laws of the Kisan Degree College will have a bearing on the management and conduct of affairs of the College. .... Page 17. "No sooner the Bye-laws of the Kisan Degree College, Simbhaoli (Meerut) come into the force then*

the Educational Society Simbhaoli or its allied body shall cease to have any control on the administration of the Kisan Degree College, Simbhaoli (Meerut)." महाविद्यालय को संचालित करने हेतु दि किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली, हापुड़ को अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–351, दिनांक 25.09.1962 द्वारा पंजीकृत कराया गया। सोसाईटी द्वारा 1962 से अद्यतन महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

3(ख). वर्ष 2000 में प्रत्यावेदक डा0 सुखबीर सिंह (गैर पक्षकार) द्वारा फर्जी प्रबन्ध समिति का गठन कर महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के कथित संविधान को लेकर महाविद्यालय पर अधिकार का दावा किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.02.2005 द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिका संख्या–237/2015 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2016 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत कथित संविधान दिनांक 02.05.1993 के दावे को छल कपट व परिनियम–13.05(ई) के उल्लंघन के कारण खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय के उपर्युक्त आदेश 30.03.2017 के विरूद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित की गयी रिट याचिका संख्या–32012/2017 वर्तमान में विचाराधीन है। रिट सी संख्या–1745/2020 में दिनांक 12.02.2020 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा महाविद्यालय संविधान में संशोधन करने हेतु विश्वविद्यालय से परिनियम–13.05(ई) के अनुसार पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया। प्रत्यावेदक द्वारा कभी भी पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। महाविद्यालय सोसाईटी में आजीवन सदस्य बनाये जाने का प्रावधान नहीं है। अतएव प्रत्यावेदक महाविद्यालय सोसाईटी के आजीवन सदस्य नहीं है। प्रत्यावेदक के दावे को स्वीकार करने से मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवमानना होगी।

3(ग). याचिका संख्या 31341/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय प्रबन्ध समिति को दिनांक 02.05.2022 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रत्यावेदक का वाद अपोषणीय है। प्रत्यावेदक द्वारा स्वयं को सदस्य बताना औचित्यहीन है एवं प्रत्यावेदक का लोकस स्टैण्डी नहीं है। याचिका संख्या 32012/2017 में सुनवाई चल रही है अतएव प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन खण्डित किया जाये।

4(क). विपक्षी श्री संदीप कुमार, अध्यक्ष/सचिव, किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली, हापुड़ द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या में, प्राचार्य की आख्या का समर्थन करते हुए उल्लेख किया गया है कि सासाईटी द्वारा आर0एस0के0 इण्टर कॉलेज, सिम्भावली, हापुड़ के संचालन हेतु 'दी एजुकेशनल सोसाइटीज, सिम्भावली' को दिनांक 01.08.1949 को पंजीकृत कराया गया। सोसाइटी द्वारा वर्ष 1956 में महाविद्यालय की स्थापना कर वर्ष 1962 से महाविद्यालय का संचालन किया गया। वर्ष 1962 में महाविद्यालय संचालन हेतु उक्त सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अंतर्गत संख्या 351 दिनांक 25.09.1962 को पंजीकृत कराया गया। महाविद्यालय को संचालित करने हेतु सोसाइटी के संविधान (सी), पेज 17 में प्रावधानित है। वर्ष 1962 से 2003 तक महाविद्यालय को ''दी किसान डिग्री कालेज, सिम्भावली, हापुड़ सोसाइटी'' द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रत्यावेदक द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 26941/2003, याचिका संख्या 1747/2011 एवं याचिका संख्या 237/2015 के वृहद् आदेशों को छिपाया जा रहा है एवं वर्ष 2003 से अद्यतन प्रत्यावेदक, गैर/पक्षकार कथित साधारण सभा सदस्य दी एजूकेशन सोसाइटी, सिम्भावली, हापुड़ कथित संविधान संशोधन, 1993 को प्रस्तुत कर रहा है। प्रत्यावेदक द्वारा वर्ष 1962 के पंजीकृत संविधान व पंजीकृत सोसाइटी को गलत बताया जा रहा है। प्रत्यावेदक, तथाकथित दी एजूकेशन सोसाइटी सिम्भावली, हापुड़ के दिनांक 02.05.1993 में किये गये कथित संविधान को विश्वविद्यालय के समक्ष चार बार रख चुका है एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक को सुनवाई का

अवसर प्रदान करते हुए, उक्त कथित संविधान संशोधन दावे को चार बार खण्डित कर दिया गया है। प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं तथ्यों को छुपा कर कुलाधिपति को गुमराह किया जा रहा है।

4(ख). किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली को संचालित करने व नियंत्रण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत दिनांक 25.09.1962 को सोसाइटी व संविधान का पृथक पंजीकरण कराया गया, जिसके द्वारा महाविद्यालय का अद्यतन संचालन किया जा रहा है। प्रत्यावेदक द्वारा वर्ष 2003 में कथित दी एजुकेशनल सोसाइटीज, सिम्भावली का फर्जी संविधान बनाकर कार्यालय सोसाइटीज्, मेरठ में दिनांक 20.02.2003 को पंजीकृत कराकर उक्त संविधान के अनुरूप प्रबन्ध समिति के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर उक्त फर्जी गठन को गोपनीय तरीके से विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त की गयी, जिसके विरुद्ध तत्कालीन अध्यक्ष/सचिव द्वारा विश्वविद्यालय से उक्त फर्जीवाड़े की शिकायत करने पर सुनवाई के पश्चात दिनांक 05.07.2003 को प्रत्यावेदक द्वारा गठित प्रबन्ध समिति की वैधानिकता को अमान्य करते हुए अनुमोदन वापस लेकर उसका प्रत्यावेदन खण्डित कर दिया गया है।

4(ग). उपर्युक्त प्रत्यावेदन खण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–29641/2003 में दिनांक 16.02.2005 को निम्न आदेश पारित किया गया है :

*"The third question that arises for consideration is as to **whether Educational Society,** Simbhaoli, District Meerit **has any relation with Kisan Degree College Society, Simbhaoli, Ghaziabad or not**. In this regard, it would be relevant to note here that Kisan Degree College Society, Simbhaoli, Ghaziabad was registered on 25.09.1962 and the byelaws of the said society clearly contained stipulation that 'Educational Society, Simbhaoli or it allied body, District Meerut' Shall cease to have any control on the administration of Kisan Degree College, Simbhaoli, Meerut or its allied body shall cease to have any control. Cessation of control on administration clearly contemplates independent handling of the affairs as per the provisions contained in the byelaws of the Society. **Education Society,***

***Simbhaoli has got no concern, whatsoever, with the college in question in any manner,** whatsoever, and any reference to the same is wholly uncalled for."*

उपर्युक्त के अनुक्रम में, प्रत्यावेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2007 में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन 1993 को वैध नहीं पाते हुए प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–46571/2007, 48251/2007, 57947/2007, 1747/2011 एवं 17796/2011 योजित की गयीं। मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2013 को कुलपति को प्रकरण निस्तारित करते हुए निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया, तत्पश्चात शासन द्वारा प्रत्यावेदक के कथित संशोधन को अवैध करार दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ के कार्यालय आदेश दिनांक 19.01.2010 में प्रत्यावेदक द्वारा कराये गये संविधान संशोधन 2003 को धारा–16डी की कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली, हापुड़ के वर्ष 1962 के पंजीकृत बॉयलाज ही मान्य एवं प्रभावी होने तथा तदनुसार प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कराया जाना उचित पाते हुए प्रकरण निस्तारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी स्पेशल अपील संख्या–237, 238, 239, 240 व 241/2015 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2013 व कुलपति के आदेश को खण्डित किये जाने की याचना किये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2016 में एकल खण्डपीठ के निर्णय को उचित ठहराया गया तथा प्रत्यावेदक को कोई आपत्ति होने पर उसे कुलपति द्वारा सुने जाने हेतु आदेशित किया गया।

4(घ). विश्वविद्यालय द्वारा याचिका संख्या–237/2015 व अन्य के आदेश दिनांक 24.11.2016 के आलोक में, सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पारित वृहद् आदेश दिनांक 30.03.2017 *"अतः सभा की कार्यवाही में संशोधित प्रावधान उल्लिखित नही है, प्रतिवादी द्वारा*

प्रस्तुत कुछ सदस्यों के प्रस्तुत शपथ–पत्र से भी ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 02.05.1993 में पारित दर्शाए संशोधन वैधानिक रूप से संशोधित नहीं किये गये हैं इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.05 ई के अनुसार किसी भी संशोधन के लिए कुलपति जी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में पत्रावली पर उपलब्ध पत्राजातों से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई पूर्वानुमति न तो दी गयी तथा नही प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतः मैं इस निश्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रत्यावेदक डॉ0 सुखबीर सिंह के द्वारा प्रस्तुत कथित संशोधन दिनांक 02.05.1993 वैध नहीं है" के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–32012/2017 में सुनवाई जारी है। प्रत्यावेदक महाविद्यालय के आजीवन सदस्य नहीं हैं। प्रत्यावेदक के दावे को स्वीकार करने से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवमानना होगी। डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज, मेरठ द्वारा दिनांक 15.07.2021 को अधिनियम, 1860 की धारा–4(1) के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–1060/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2022 को विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसमें पंजीकृत सूची को चुनौती देने की प्रकिया का वर्णन किया गया है ।

4(ङ). प्रत्यावेदक के कथनानुसार, पुनः विपक्षीगण द्वारा नाम परिवर्तित कर जिलाधिकारी, हापुड़ के यहां जॉच हेतु प्रत्यावेदन दिया गया, जिलाधिकारी ने उक्त निर्वाचन व पंजीकृत प्रबन्ध समिति की सूची दिनांक 15.07.2021 जॉच कराने का आदेश पारित किया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वादी द्वारा उक्त निर्वाचन को चुनौती दिये जाने के जिलाधिकारी के आदेश व उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध स्थगनादेश पारित किया गया है जो अभी निरन्तर प्रभावी है। प्रत्यावेदक का वाद कालबाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है एवं उसका 'लोकस स्टैण्डी' नहीं है। सोसाइटी से सम्बन्धित वाद के निस्तारण हेतु कुलाधिपति के समक्ष वाद पोषणीय नहीं है। मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 32012/2017 में सुनवाई चल रही है जिससे सुनवाई के मध्य विपक्षी का

कुछ कहना न्यायसंगत नहीं है अतएव प्रत्यावेदक के अपोषणीय वाद को खण्डित किया जाये।

5(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या में मुख्यतः उल्लेख है कि अभिलेखानुसार दिनांक 09.07.2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स एण्ड फण्ड सोसाइटी, मेरठ के आदेशानुसार सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 की धारा–25(2) के आलोक में श्री राजीव कुमार गोहित द्वारा चुनाव अधिकारी के रूप में चुनाव सम्पन्न कराये गये। महाविद्यालय की मातृ संस्था किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली सोसाइटी' है। महाविद्यालय द्वारा किसान डिग्री कॉलेज, सिम्भावली के पंजीकृत परिनियम प्रस्तुत किये गये थे। डिप्टी रजिस्ट्रार, चिट्स फण्ड सोसाइटी के द्वारा सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा–25(2) के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराया गया है। महाविद्यालय की मातृ संस्था के सदस्यों के सम्बन्ध में निर्धारण करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित नहीं है।

5(ख). प्रत्यावेदक का संदर्भ कालबाधित है तथा प्रत्यावेदक द्वारा देरी को उपमर्षित करने का अनुरोध नहीं किया गया है। अधिनियम, 1973 की धारा–2(13) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्धन हेतु किसी भी निकाय को भारित किया जा सकता है। तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा–25(2) के आलोक में चुनी गयी प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्धन हेतु मान्यता प्रदान की गयी है। परिनियम–13.05(एफ) के अनुसार कुलपति को यह अधिकार है कि वह इस प्रश्न पर निर्णय प्रदान कर सके कि किसी महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति वैधानिक रूप से चुनी गयी है अथवा नहीं। शासनादेश 219/सत्तर–2–2022–18(47)/2019 दिनांक 03.04.2023 में उद्धृत दिशा–निर्देश व महाविद्यालय में वैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था संस्थित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा, सोसाइटी अधिनियम, 1860 की धारा–25(2) में गठित प्रबन्ध समिति को ही महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

6. विपक्षी डा0 विजय गर्ग, प्राचार्य द्वारा प्रेषित आख्या के विरूद्ध प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर (Rejoinder) में मुख्यतः उल्लेख है कि यदि उसका प्रकरण अधिनियम, 1973 की धारा–68 में पोषणीय नहीं है तो फिर किस धारा में पोषणीय है? वह विधिवत प्रबन्ध समिति का सचिव व साधारण सभा का सदस्य है। विपक्षी द्वारा उसके प्रत्यावेदन के बिन्दु 1ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी तथा बिन्दु–2(ए)(बी) पर आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। उसके द्वारा पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित याचिका संख्या–32012 ऑफ 2017 के पेज 36, दी एजूकेशन सोसाइटी के 6 पेज एवं एक अन्य रिट के 3 पेज तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों के 8 पेज संलग्न किये हैं, जिनका प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

7(क). विपक्षी श्री संदीप कुमार, अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर (Rejoinder) में उल्लेख है कि विपक्षी द्वारा उसके प्रत्यावेदनों में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। किसान डिग्री कॉलिज सोसाइटी, सिम्भावली, मेरठ वर्तमान में हापुड़ किसान स्नाकोत्तर महाविद्यालय, सिम्भावली का संचालन नहीं करती है और न ही इसके कोई बाइलॉज हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के जिन पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के जिन सदस्यों को मान्यता प्रदान की गयी है, वह गन्ना समिति, सिम्भावली के भूतपूर्व डेलीगेटस हैं और उनका शिक्षण संस्थाओं से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षण संस्थाओं के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा–15 एवं उपधारा–15(बी) में सदस्यता का प्रावधान किया गया है। विपक्षी द्वारा कुलपति कार्यालय से सॉठगॉठ कर मान्यता प्राप्त की गयी है, जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध है।

7(ख). महाविद्यालय का संचालन दी एजुकेशनल सोसाइटी, मेरठ वर्तमान में हापुड़ के द्वारा होता है या किसी अन्य से, के विषय में प्रत्यावेदक का कथन है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 28.04.1987 के संदर्भ में, 'दी एजूकेशनल सोसाइटी, सिम्भावली' न केवल निरन्तर वर्ष 1987 तक और इससे आगे भी इसका संचालन कर

रही है तथा इस पत्र के अनुसार महाविद्यालय प्रबन्ध समिति विधिवत रूप से साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर संशोधित संविधान की प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करे। विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 03.12.1993 द्वारा संविधान संशोधन के उपरान्त किसान डिग्री कॉलिज सिम्भावली, हापुड़ की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, किन्तु कुछ समय के उपरान्त कुलपति ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए अनुमोदन को वापिस ले लिया। प्रत्यावेदक, समिति का सचिव होने के नाते विश्वविद्यालय के संशोधित आदेश के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या–29641/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2005 के अनुपालन में विपक्षी पक्ष को एक माह की अवधि में संविधान संशोधन के विरूद्ध नवीन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना था, परन्तु विपक्षी पक्ष द्वारा एक माह तो क्या एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव प्रत्यावेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.01.2006 के द्वारा विश्वविद्यालय से मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2005 के अनुसार आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी थी।

7(ग). तदुपरान्त विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 07.03.2006 द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ को इस आशय से पत्र प्रेषित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2005 के आलोक में किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली (गाजियाबाद) वर्तमान में हापुड़ की प्रबन्ध समिति के चुनाव, न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–25(2) में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.12.1993 को अनुमोदित संविधान के अनुसार कराये जायें तथा तदुपरान्त विश्वविद्यालय के कुलपति को अनुमोदन हेतु प्रेषित करें। तत्क्रम में डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ के पत्र दिनांक 31.03.2006 द्वारा श्री सुखबीर सिंह, श्री कनक सिंह, श्री राज सिंह एवं श्री के0पी0 सिंह से आम सभा के सदस्यों की सूची तथा साक्ष्य अभिलेख दिनांक 21.04.2006 तक प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। इसी मध्य विपक्षीगण द्वारा योजित रिट संख्या–30664/2006 में विश्वविद्यालय का पक्ष

सुनने के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2006 द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगाने का अपना आदेश वापस ले लिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2006 के बाद याचिकाकर्ता श्री कनक सिंह तथा श्री राज सिंह के विरूद्ध दायर अवमानना प्रार्थना पत्र में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2006 एवं 17.02.2009 से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली का दिनांक 03.12.1993 को अनुमोदित संविधान विधिपूर्वक संशोधित किया गया था किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके विरूद्ध कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2006 के अनुपालन में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा आम सभा के सदस्यों की सूचना को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। निर्वाचन अधिकारी ने सभी पक्षों को सुनकर, सोसाइटी के रिकार्ड एवं लिखित साक्ष्यों पर विचारोपरान्त पत्र संख्या–531–मेरठ, दिनांक 30.05.2006 के द्वारा आम सभा के 34 सदस्यों की घोषणा की गयी थी, जिसमें प्रत्यावेदक नं0 1 पर तथा डॉ0 सुशील कुमार सिन्धु नं0 2 पर अंकित हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2006 को घोषित उक्त निर्वाचन सूची के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा अद्यतन किसी भी न्यायालय में अथवा किसी सक्षम ऑथोरिटी के सम्मुख कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उक्त सूची अन्तिम व फाइनल हो गयी।

7(घ). गन्ना सोसाइटी के जिन डैलीगेट्स द्वारा दिनांक 01.01.2020 को चुनाव सम्पन्न कराया गया है, उसमें से किसी का भी नाम वर्तमान मतदाता सूची में न होने के कारण उक्त मतदान अवैध है। डिप्टी रजिस्ट्रार, मेरठ द्वारा उक्त निर्वाचन दिनांक 01.01.2020 को सम्पन्न कराया गया है, उसे अपने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 23.05.2006 पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ द्वारा कथित साधारण सभा के सदस्यों की सूची का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा–15(2) तथा 4क व 4ख (1)(2)(3) के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया है। अतएव डैलीगेट की सूची से निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना विधि के विरूद्ध है।

दिनांक 11.02.2007 को घोषित अन्तिम परिणामों के अनुसार व सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने से वह प्रबन्ध समिति व साधारण सभा का वास्तविक सदस्य है।

8(क). प्रत्यावेदक द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या के सापेक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उल्लेख है कि प्रत्यावेदन कालबाधित होने के सम्बन्ध में, प्रत्यावेदन दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से देरी उपमर्षित कराने का अनुरोध किया गया, जिसे कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, चिट्स फण्ड सोसाइटी, मेरठ के आदेशानुसार सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा–25(2) के आलोक में श्री राजीव गोहित, चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव सम्पन्न कराये गये, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि यह समिति कॉलेज का संचालन करती है या नहीं, इसका कोई बाईलाज है या नहीं, यह एक फर्जी सोसायटी है। किसान डिग्री कालिज, सिम्भावली, हापुड़ की मातृ संस्था किसान डिग्री कालेज, सिम्भावली सोसाइटी होने का कथन झूठ और मिथ्या है। उक्त सोसायटी का पंजीकरण वर्ष 1962 में हुआ और किसान पी0जी0 कालिज, सिम्भावली की स्थापना वर्ष 1956 में हुई, जिस सोसाइटी ने इसकी स्थापना की, उसका नाम, "दी एजूकेशन सोसायटी, सिम्भावली, मेरठ, वर्तमान में हापुड़" है और इसकी स्थापना का वर्ष 1949 है।

8(ख). यदि शासन से महाविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का संदेश आया था तो इसका तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय, विधि व्यवस्था के अनुसार कार्य करे। इस विषय में स्वयं कुलपति ने कोर्ट का आदेश *"That the honourable High Court wide order date 07.12.2021 passed in writ no. 31341 of 2021 was pleased to direct the University to take appropriate decision in accordance with law upon the issue of recognition."* अपने आदेश में उद्धृत किया है। विश्वविद्यालय द्वारा आर्टीकल 2(13) एवं परिनियम की धारा–13.05 (एफ) की गलत व्याख्यायें की गयी हैं, इनका अर्थ

विधिसम्मत, निर्वाचित व वैधानिक रूप से चुने गये प्रबन्ध तंत्र को मान्यता देने से है। विश्वविद्यालय के समक्ष महाविद्यालय द्वारा किसान डिग्री कॉलिज, सिम्भावली (अब पोस्ट ग्रेजुएट कालिज है) के रजिस्टर्ड बाइलॉज प्रस्तुत किये गये थे। विश्वविद्यालय द्वारा जिस बाइलॉज का उल्लेख किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से Society means the Education Society है, तद्नुसार प्रत्यावेदक द्वारा, प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 का सुसंगत अंश अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :

"The entire record placed before me pertains to elections of the Society conducted under the provisions of Section 25(2) of the Societies Registration Act. Indeed, the management committee of the Society and its elections are on a different footing than that of the term "management" under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. Moreover, as the elections of the Society were conducted under the provisions of Section 25(2) Societies Registration Act, University did not appoint any 'observer' to supervise the elections.

In the present case as no other body has been constituted or formed to charge with the affairs of the college and Section 2(13) of the U.P. State Universities Act, 1973 empowers the University to recognize, as such, any management committee or other body charged with managing the affair of the college it would be proper that the decision is taken regarding the recognition of such body.

The elections of Kisan Degree College, Simbhaoli (Society), although, were conducted by the Deputy Registrar Firms Societies and Chits under the provisions of Section 25(2) of the Societies Registration Act, 1860, pertain to the constitution of the office bearers of the Society only but, nevertheless, the same body of persons may be charged for conducting the affairs of the College.

Thus in light of the above, it is deemed proper that the office bearers of the Kisan Degree College, Simbhaoli (Society), so elected under Section 25(2) of the Societies Registration Act, 1860 and notified by the order dated 15.07.2021 by the Deputy Registrar, Firms Societies and Chits, Meerut are recognized, as such, for the purpose of managing the affairs of the College."

10. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट सी संख्या–1745/2020 राजीव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में दिनांक 12.02.2020 को पारित आदेश का सुसंगत अंश प्रकरण में अवलोकनीय है, जो निम्नवत् है :–

"21. ..... *It further transpires that in 1993 also an attempt was made to change constitution of managing committee and the Vice-Chancellor vide his order dated 30 March, 2017 found the amendment to* ***be bad for the reason that no prior permission was obtained from the Vice-Chancellor.*** *It is contended that this order has attained finality with dismissal of the writ petition filed against it in default.*

22. *It further appears that the Vice-Chancellor* ***initially stayed the elections****, but without ensuring compliance to Statute 13.05(e) has withdrawn his earlier orders restricting the holding of elections. The Vice-Chancellor does not appear to have examined the* ***implication of non-observance of clause 13.5(e)*** *while passing the subsequent order.*

23. *In light of discussions and deliberations made above, it is held that obtaining of prior permission from the Vice-Chancellor before affecting any change in constitution of management of an affiliated college would be impermissible in law. Consequently,* ***the amendment made in the constitution of management on 11.11.2016 is not liable to be sustained and is quashed****. The Vice-Chancellor, therefore, shall pass necessary consequential orders as may be warranted in law within a period of two months from the date of presentation of certified copy of this order.*

24. *Writ Petition is allowed.*"

11. प्रकरण के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मुख्यतया महाविद्यालय की 'वास्तविक प्रबन्ध समिति' एवं उसके सदस्यों के 'सदस्यता–विवाद' से अन्तर्ग्रस्त है तथा महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाएं लम्बित व विचाराधीन हैं। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2(13) सपठित धारा 13(1)(क) के अन्तर्गत कुलपति महाविद्यालयों के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण/नियंत्रण करने एवं इनमें सम्पन्न निर्वाचन के कम में चयनित प्रबन्ध समितियों की वैधता निर्धारित करने एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्राधिकृत हैं। विधि का स्थापित सिद्धान्त यह है कि यदि प्रबन्ध तंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र

वैध रूप से गठित है या नहीं तो ऐसे प्रकरणों में कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियम के निम्न प्रावधान अवलोकनीय हैं :

"**13.05(f)** *No change in the said constitution shall be made except with the prior permission of the Vice-Chancellor.*

13.05(g) *If any question arises whether any person has been duly chosen as, or is entitled to be a member or office-bearer of the Management or whether the Management is legally constituted, the decision of the Vice-Chancellor shall be final.*"

12. विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा। अधिनियम, 1973 एवं तद्धीन निर्मित परिनियमावली के उक्त प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.05.2022 पारित करते हुए विपक्षी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री खचेडू सिंह के सचिवत्व वाली प्रबन्ध समिति को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसके सम्बन्ध में कुलपति अधिकृत हैं, तदनुसार अधिनियम, 1973 व परिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, कुलपति द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ के आदेश दिनांक 15.07.2021 द्वारा अधिसूचित, निर्वाचित प्रबन्धतंत्र को प्रदान किये गये अनुमोदन में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है अतएव इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

13. वर्तमान प्रकरण में विपक्षी श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह की अध्यक्षता एवं श्री संदीप कुमार पुत्र श्री खचेडू सिंह के सचिवत्व वाली प्रबन्ध समिति का चुनाव, चुनाव अधिकारी श्री राजीव कुमार गोहित की उपस्थिति में दिनांक 09.07.2021 को सम्पन्न हुआ था। कुलपति द्वारा नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति के चुनाव पर अपने आदेश दिनांक 02.05.2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय की आख्यानुसार महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन नियमानुसार सम्पन्न हुआ है एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स द्वारा नामित चुनाव अधिकारी श्री राजीव कुमार

गोहित की उपस्थिति में सम्पन्न निर्वाचन की कार्यवाही को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षणोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया है, इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम आर्य विद्या सभा काशी, (2004) 2 यूपीएलबीईसी 1593** अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अधिनियम, 1973 की धारा 2(13) सपठित धारा 13(1)(क) द्वारा कुलपति को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत् किसी महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी आदेश पारित करने अर्थात् प्रबन्ध समिति को अनुमोदन प्रदान किये जाने से संबंधित क्षेत्राधिकार की परिधि एवं प्रकृति के संबंध में अवधारित किया गया है कि कुलपति का क्षेत्राधिकार निर्वाचन अधिकरण की तरह निर्वाचन विवाद निस्तारित करने का नहीं है। विश्वविद्यालय को संबंधित विधियों के अन्तर्गत् महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति से विभिन्न पत्राचार तथा कार्यवाहियाँ करनी होती हैं जिसके लिए महाविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल का संज्ञान में होना आवश्यक है। कुलपति को प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत् गठित प्रबन्धतंत्र के बारे में निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान करना होता है। कुलपति के उपर्युक्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत् किसी निर्वाचन विवाद का निस्तारण नहीं आता है।

14. निर्वाचन/सदस्यता–विवाद के निस्तारण हेतु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत् विहित प्राधिकारी व सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सदस्यता व निर्वाचन के संबंध में पक्षकारों के मध्य यदि कोई विवाद है भी तो उसका निस्तारण कुलपति को महाविद्यालयों की प्रबंध समिति को मान्यता देने के संबंध में प्राप्त सीमित क्षेत्राधिकार की परिधि में नहीं आता है, ऐसे निर्वाचन विवादों का निस्तारण सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा उचित वैधानिक प्राधिकारी के स्तर से कराया जा सकता है। प्रत्यावेदक द्वारा महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र की वैध 'मातृ संस्था/सोसाइटी' एवं उनके सदस्यों के 'सदस्यता–विवाद' को उचित वैधानिक मंच (appropriate statutory forum) पर चुनौती नहीं दी गयी है, जिसके आलोक में, कुलपति द्वारा प्रकरण में लिया गया निर्णय/अनुमोदनादेश दिनांक 02.05.2022 कुलपति को अधिनियम, 1973 की धारा–2(13)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

सपठित धारा–13(1)(क) एवं परिनियम–13.05(g) द्वारा प्राप्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत् पारित उचित आदेश है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है एवं इस संबंध में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

15. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि–व्यवस्था के आलोक में, प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए प्रकरण तदनुसार निस्तारित किया किया जाता है। यह आदेश, मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित किये जाने वाले किसी आदेश के अधीन होगा।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 सुखवीर सिंह, ए–8, अपना घर, संजय विहार, आवास विकास, मेरठ रोड हापुड़–245101.
2. श्री सन्दीप कुमार, अध्यक्ष/सचिव, प्रबन्ध समिति, किसान डिग्री कॉलेज सिम्भावली, हापुड़।
3. डा0 विजय गर्ग, प्राचार्य, किसान डिग्री कॉलेज सिम्भावली, हापुड़।
4. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. गार्ड फाइल हेतु।

30.12.24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

Issue Sri Ramesh
01.01.2025

02/01/25

02.01.25